भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1757#
मंगलवार, 03 अगस्त, 2021/12 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय सहायता

1757#. श्री बृजलाल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टीएफसीआईएल) द्वारा ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान के तहत कितने लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टीएफसीआईएल द्वारा कितनी योजनाओं को सहायता प्रदान की गई है और भविष्य में कौन-सी मुख्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान टीएफसीआई द्वारा एमएसएमई के लिए दिनांक 13 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के तहत स्वीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है I

(ख): विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:

i. पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत के हिस्से में वृद्धि करने के लिए अपनी विदेशों में संवर्धन एवं मार्केटिंग विकास (ओपीएमडी) तथा प्रचार योजनाओं के तहत विदेशी पर्यटन सृजक बाजारों में भारत का एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है I विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि पर्यटन उद्योग के हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना के दायरे और पहुंच में विस्तार किया जा सके I

ii. पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है I

iii. यह मंत्रालय राष्ट्रीय तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) मिशन योजना के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है I

iv. यह मंत्रालय पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता देता है I

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना और उसकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है I इन परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की

प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है I

पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य अनेक कदम भी उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. अनेक देशों के नागरिकों को ई-वीजा सुविधा प्रदान की गई है I
ii. बाजार विशिष्ट संवर्धनात्मक योजना तथा विषय-वस्तु सृजन के साथ अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया गया I
iii. 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और हिंदी तथा अंग्रेजी में 24X7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन 1800111363 शुरू की गई I
iv. द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया I
v. पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के संवर्धन के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया I
vi. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में सक्रिय भागीदारी के साथ विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में पर्यटक सृजनकारी बाजारों में कार्यकलापों का संवर्धन I
vii. भारत सरकार ने पहले 5 लाख पर्यटकों के लिए निशुल्क पर्यटक वीजा की घोषणा की है I यह योजना 31 मार्च 2022 तक अथवा 5 लाख पर्यटक वीजा जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी I एक पर्यटक को यह लाभ एक ही बार प्राप्त होगा I

****

अनुबंध

टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय सहायता के संबंध में दिनांक 03.08.2021 के राज्य सभा लिखित प्रश्न सं. 1757# के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

दिनांक 20 मई 2020 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रचालन संबंधी दायित्वों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू करने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई)/ व्यावसायिक उद्यमों (दिनांक 29 फरवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के 20% तक) हेतु अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से 100% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत की और समय-समय पर उसकी अवधि में विस्तार किया I

पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान टीएफसीआई द्वारा एमएसएमई को स्वीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (सीएलजीएस) के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	सहायता प्राप्त इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021
1	सहायता प्राप्त एमएसएमई इकाइयों की संख्या	-	-	31
2	स्वीकृत ऋण	-	-	234.69

टीएफसीआई द्वारा स्वीकृत ऋण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकृति				
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**राज्य**	**उधार लेने वालों की संख्या**	**राशि (करोड़ रु. में)**
1	**पर्यटन क्षेत्र**			
(i)	**- होटल और रिसॉर्ट्स**	छत्तीसगढ़	1	15.00
		गुजरात	2	33.00
		कर्नाटक	1	60.00
		केरल	2	35.00
		मध्य प्रदेश	3	56.75
		महाराष्ट्र	4	134.00
		राजस्थान	4	125.50
		उत्तर प्रदेश	4	153.00
		उत्तराखण्ड	2	128.00
		उप-कुल	**23**	**740.25**
(ii)	**- अन्य पर्यटन परियोजनाएं**	दिल्ली	1	4.40
		महाराष्ट्र	1	75.00
		उप-कुल	**2**	**79.40**
2	**शहरी अवसंरचना क्षेत्र (अस्पताल और स्कूल)**	मध्य प्रदेश	2	75.00
3	**विनिर्माण और अन्य क्षेत्र**	दिल्ली	2	50.00
		हरियाणा	1	50.00
		उत्तर प्रदेश	3	70.00

		उप–कुल	**6**	**170.00**
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल स्वीकृतियां		**कुल योग**	**33**	**1064.65**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृति				
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**राज्य**	**उधार लेने वालों की संख्या**	**राशि (करोड़ रु. में)**
1	**पर्यटन क्षेत्र**			
(i)	**- होटल और रिसॉर्ट्स**	दिल्ली	1	40.00
		केरल	1	15.00
		मध्य प्रदेश	2	80.00
		महाराष्ट्र	1	35.00
		ओडिशा	1	30.00
		राजस्थान	2	75.00
		तमिलनाडु	1	8.00
		उत्तर प्रदेश	1	12.50
		पश्चिम बंगाल	1	55.00
		उप–कुल	**11**	**350.50**
(ii)	**-अन्य पर्यटन परियोजनाएं**	पश्चिम बंगाल	1	1.50
2	**शहरी अवसंरचना क्षेत्र (अस्पताल और विश्वविधालय)**	राजस्थान	1	70.00
		उत्तर प्रदेश	1	55.00
		उप–कुल	**2**	**125.00**
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल स्वीकृतियां		**कुल योग**	**14**	**477.00**

*****